UPGK010050572026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2200/2026

आदित्य चौहान पुत्र मोहन चौहान, उम्र–22 वर्ष
निवासी – खरैया पोखरा, अशोक नगर, बशारतपुर, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर, उ0प्र0।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

सत्र वाद सं0–264/2026
मुकदमा अपराध सं0–456/2025
धारा–304(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त आदित्य चौहान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–456/2025 धारा–304(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी पार्वती के द्वारा दिनांक 19.07.2025 को थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि प्राथिनी पार्वती पत्नी दीपचन्द निवासी आजाद नगर निकट दरोगा हस्टल आज दिनांक 18.07.2025 को समय करीब 3 बजे शाम को मै अपने घर से काम पर जा रही थी तभी पैराडाइज लॉन आजाद नगर के पास दो लड़के पैशन प्रो० मोटर साइकिल से आये और मेरा मोबाइल छीन कर भाग गये। जिसका नम्बर 775485XXXXX।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा इस मुकदमे में प्रार्थी को फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त किसी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं रहा है। पुलिस के द्वारा वर्तमान मामले में अभियुक्त को गलत तरीके से फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। प्रार्थी दिनांक 27.07.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना दिनांक को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादिनी का मोबाईल छीना गया है तथा कथित अपराध में

आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी का मोबाईल छीने जाने का अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं किया गया है और न ही बरामदशुदा मोबाईल की कोई शिनाख्त करायी गयी है। मामले में विवेचना अब शेष नहीं है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 27.07.2025 से कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त आदित्य चौहान द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 01.06.2026 **(राज कुमार सिंह)**

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code–UP1

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.01 16:36:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court